राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	2496/2016	थावर मल	1. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुन्झुनू। 2. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, खेतडी, जिला झुन्झुनू।
2.	2497/2016	श्रीराम गुर्जर	
3.	2498/2016	ब्रदी प्रसाद	
4.	2492/2016	महावीर प्रसाद	
5.	2493/2016	डेडाराम	
6.	2494/2016	राधेश्याम अम्बावता	
7.	2495/2016	ओम प्रकाश गुर्जर	

आदेश की दिनांक : 22.07.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित तालिका में समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2496/2016 थावर मल बनाम जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुन्झुनू एवं अन्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।

2. अपीलार्थी की ओर से अपील संख्या 2496/2016 में यह तथ्य अंकित किये गये है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति शिक्षा सहयोगी के रूप में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, देववाला, जोहड(ताटीजा) पंचायत समिति, खेतडी, जिला झुन्झुनू में हुई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 01.07.1999 से 11.06.2008 तक उक्त स्थान पर कार्य किया। राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक भर्ती सेवा नियम–2008 बनाये गये, जिन सेवानियमों के तहत प्रबोधक के पद गठित किये गये। अपीलार्थी ने उक्त पद के लिये नियुक्ति हेतु आवेदन किया। अपीलार्थी को दिनांक 28.09.2008 को प्रबोधक के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी। अपीलार्थी ने प्रबोधक के रूप में दिनांक 01.10.2008 को कार्य ग्रहण किया। अपीलार्थी द्वारा परिवीक्षाकाल पूरा किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी को नियमित वेतन श्रृंखला से वेतन प्रदान किया गया। राजस्थान पंचायतीराज प्रबोधक सेवा नियम–2008 के नियम–37(A) के प्रावधानानुसार

अपीलार्थी द्वारा पूर्व की सेवाएं शिक्षा सहयोगी के रूप में दी गयी थी। उसके आधार पर तीन वेतन वृद्धि प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी वरिष्ठता एवं पदोन्नति का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवाओं पर चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का भी अधिकारी है। अपीलार्थी को यह समस्त लाभ प्रदान नहीं किये गये हैं। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

> "It is therefore most humbly prayed that this appeal may kindly be allowed and after perusal to the relevant record the respondents may kindly be ordered to grant the following to the appellant as under:-
>
> i) to grant the benefit Salary in probation 1.10.2008 to 1.10.2010 Division Bench Judgment.
>
> ii) to grant increment in terms of Rule-37 (A) of the Rules, 2008 by counting his services from the date of 1.7.1999 1.e. three increment increment. instead of one
>
> iii) to determine his seniority on the cadre post of Prabodhak in terms of Rule 32 of the Rules 2008 and on the basis aforesaid seniority the case of the appellant be considered for promotion on the next cadre of post of Senior Prabodhak as an when it is admissible completion of 9 years service.
>
> iv) to grant the benefit of selection grade/ACP after completion of requisite period of 9,18 and 27 years of service as and when it is admissible.
>
> v) to grant the arrears in consequences of aforesaid benefits to the appellant with interest of 9% P.A. and be also directed to the respondents to comply the order passed by the Hon'ble Tribunal within fixed stipulated time."

3. अपील संख्या 2492/2016, 2493/2016, 2494/2016 एवं 2495/2016 में अपीलार्थीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थना के अतिरिक्त एक अन्य प्रार्थना की गयी है, जिसमें अपीलार्थीगण ने जो अतिरिक्त सेवाएं बीएलओ के रूप में एवं जनगणना के प्रशिक्षण कार्य के लिये दी है, उसके लिये अपीलार्थीगण को लिव एनकेशमेंट का भुगतान किया जाए।
4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रबोधक पद पर कार्यरत कार्मिकों को नियम–37(A) के तहत लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 01.11.2010 जारी किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि राजस्थान पंचायतीराज प्रबोधक सेवा (तृतीय संशोधित नियम–2008, के नियम–37(A)) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक तीन वर्ष की निरन्तर एवं सतत सेवा पूर्णता के एक ब्लॉक पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जावे, तथापि 5 वर्ष से न्यून किसी अवधि के

किसी अंश के लिये वेतन वृद्धि का परिलाभ देय नहीं होगा। अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को नियम–37(A) के तहत प्रबोधक पद पर कार्यरत कार्मिकों को लाभ दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। इसके पश्चात अपीलार्थी को नियम–37(A) के तहत एक वेतन वृद्धि का लाभ देय होता है, जो उसे आदेश दिनांक 03.11.2010 के द्वारा प्रदान कर दिया गया था। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.07.2013 के द्वारा स्थायी भी किया गया। अपीलार्थी को नियमों के तहत जो भी लाभ देय है, उसे समस्त लाभ प्रदान किये जा रहे हैं। अपीलार्थी को बीएलओ एवं जनगणना के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में लीव ऐनकेशमेंट का लाभ देय नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी परिवीक्षाधीन कर्मचारी था।

5. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

6. अपीलार्थी की यह मांग है कि परिवीक्षाकाल की अवधि का अपीलार्थी को नियमित वेतन प्रदान किया जाए। हमारे समक्ष अपीलार्थी ने ऐसा कोई नियम प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर अपीलार्थी को परिवीक्षकाल की अवधि का नियमित वेतन प्रदान किया जाए। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा की गई उपरोक्त मांग को अस्वीकार किया जाता है।

7. अपीलार्थी की दूसरी प्रार्थना यह है कि अपीलार्थी को पूर्व में शिक्षा सहयोगी के रूप में दिनांक 01.07.1999 से काम करने के आधार पर तीन वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाए। इस सम्बन्ध में हमनें राजस्थान पंचायतीराज प्रबोधक सेवा नियम–2008 के नियम–37(A) का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, जिसमें निम्न प्रकार से प्रावधान है :–

> "37A. **Fixation of initial pay of Prabodhak having experience of beyond 5 years.** -A Prabodhak appointed as probationer-trainee of fixed remuneration, on successful completion of period of probation, shall be granted one increment for every additional three years of continuous teaching experience gained before his appointment, beyond the required minimum 5 years continuous teaching experience without any break in any recognized educational institution/educational project."

उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रबोधक के रूप में जो सेवाएं पूर्व में दी गयी थी, उन सेवाओं में से 5 वर्ष की सेवाएं कम करने पर शेष सेवाओं पर हर तीन वर्ष में एक वेतन वृद्धि दी जाएगी। अपीलार्थी द्वारा 9 वर्ष की सेवाएं पूर्ण की गयी है। इस प्रकार अपीलार्थी की 5 वर्ष की सेवाएं कम करने पर शेष 4 वर्ष की सेवाओं में प्रत्येक 3 वर्ष ब्लॉक की सेवा अवधि पर एक वेतन वृद्धि का लाभ देय है, जो अपीलार्थी को प्रदान कर दी गयी है। अपीलार्थी का यह तर्क माने जाने येाग्य नहीं है कि अपीलार्थी पूर्व की सेवाओं

के लिये 3 वेतन वृद्धि प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा की गयी दूसरी प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

8. अपीलार्थी ने अन्य जो प्रार्थना की है, वह नियमानुसार वरिष्ठता एवं चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में है। हम यह पाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग नियमों के अनुसार अपीलार्थी को वरिष्ठता, पदोन्नति एवं चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान करने के लिये उत्तरदायी है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को नियमों के तहत वरिष्ठता, पदोन्नति एवं चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान करें।
9. अपील संख्या 2492/2016, 2493/2016, 2494/2016 एवं 2495/2016 में अपीलार्थीगण ने बीएलओ एवं जनगणना प्रशिक्षण कार्य के सम्बन्ध में किये गये कार्य के लिये लिव एनकेसमेंट की मांग की है, जिसके सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलार्थीगण परिवीक्षाकाल की अवधि में थे, इस कारण वे उक्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अपीलार्थीगण की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलार्थीगण परिवीक्षाकाल में लिव एनकेसमेंट किन नियमों के तहत प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः अपीलार्थीगणा द्वारा उक्त चारों अपीलों लिव ऐनकेसमेंट के संबंध में की गई प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।
10. उपरोक्त आदेश के साथ समस्त अपीलों का निस्तारण किया जाता है।
11. आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 2496/2016 में एवं आदेश की प्रतिलिपि उपरोक्त तालिका में अंकित अन्य समस्त अपीलों में संलग्न की जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)